Press Release

05.07.2023

Directorate of Enforcement (ED), has provisionally attached movable and immovable assets amounting to Rs. 20.36 Crore of Ram Bilas Yadav, IAS (Retd.), the then Additional Secretary to the Uttarakhand Government under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.

ED initiated investigation on the basis of FIR registered by Vigilance Establishment Dehradun against Ram Bilas Yadav under the Prevention of Corruption Act, 1988 for possessing of disproportionate assets. It is alleged in the LEA chargesheet that during the check period from 01.01.2013 to 31.12.2016 Ram Bilas Yadav has earned Rs. 78,51,777/- through his known sources of income whereas his expenses are to the tune of Rs. 21.40 Crore. Therefore, he has been accused of amassing disproportionate assets (DA) to the tune of Rs. 20.61 Crore which is 2626% more than his known sources of legal income.

Further, during the course of investigation, ED arrested Ram Bilas Yadav on 19.05.2023 u/s 19 of PMLA, 2002 in connection with the investigation conducted under the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

Investigation under PMLA, 2002 revealed that this ill-gotten money earned by Ram Bilas Yadav was used in purchase of a flat, 04 pieces of lands in the name of his family members and also spent on the construction of buildings of his house at Lucknow, Janta Vidyalaya Gudamba, Lucknow, a complex and Late Ramkaran Dada Memorial Trust, Ghazipur and was also used in investing in the movable assets. After identification of Proceeds of Crime (PoC), Provisional Attachment Order for attaching immovable properties in the form of flat, pieces of land and construction thereon to the tune of Rs. 18.33 Crore and movable properties in the form of Fixed Deposits (FD) to the tune of Rs. 2.03 Crore (approx.) in the name of accused and his family members has been issued.

Further investigation is going on.

प्रेस विज्ञप्ति

05.07.2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड सरकार के तत्कालीन अपर सचिव राम बिलास यादव, आईएएस (सेवानिवृत्त) के 20.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम,(पीएमएलए) 2002 के तहत की गई जांच के अन्तर्गत अनंतिम(अस्थायी) रूप से कुर्क किया है|

ईडी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में, सतर्कता प्रतिष्ठान देहरादून द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत रामबिलास यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। जाँच संस्था द्वारा दाखिल की गये आरोपपत्र में आरोप है कि जांच अवधि 01.01.2013 से 31.12.2016 के दौरान राम बिलास यादव ने उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के माध्यम से 78,51,777 / - रुपये की कमाई की है जबकि उनका खर्च 21.40 करोड़ रुपये है। इसलिए, उन पर 20.61 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति (डीए) जमा करने का आरोप लगाया गया है जो कि उनकी कानूनी आय के ज्ञात स्रोतों से 2626% अधिक है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत जांच के सिलसिले में 19.05.2023 को राम बिलास यादव को गिरफ्तार भी किया था।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच से पता चला कि राम बिलास यादव द्वारा कमाए गए इस अवैध धन का इस्तेमाल उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर एक फ्लैट, 04 जमीनें खरीदने में किया गया और लखनऊ में उनके घर ,जनता विद्यालय गुडम्बा लखनऊ, भवन समूह और स्वर्गीय रामकरन दादा मेमोरियल ट्रस्ट, ग़ाज़ीपुर की इमारतों के निर्माण पर और चल संपत्तियों में निवेश में भी खर्च किया गया। अपराध की आय(PoC) की पहचान के बाद, आरोपित एवं उसके परिवार के सदस्यों की 18.33 करोड़ रुपये की चल एवं 2.03 करोड़ रुपये(लगभग) की अचल सम्पत्ति के लिए अनंतिम(अस्थायी) कुर्की आदेश जारी किए गए हैं।

आगे की जांच चल रही है।